



राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, विजौलियां  
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)  
कैम्प कोर्ट का स्थान...उमाजी का बैड़ा.....

-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी उमाजी का बैड़ा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार विजौलियां की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम उमाजी का बैड़ा तहसील विजौलियां की जमाबन्दी सम्वत् १९७५-१९७८ में खाता संख्या 14,34,35,100 में वर्तमान में दर्ज प्रविधि निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविधि (अशुद्ध प्रविधि)	आदेश (शुद्ध प्रविधि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	उमाजी का बैड़ा	14,34, 35 व 101, 117,118	अनिता पुत्री देवालाल जाति धाड़ अंकित है।	अर्चना पुत्री देवालाल जाति धाड़ किया जाता है।



(बीमा तिवाड़ी)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, विजौलियां  
(विजौलियां)

दिनांक :- 03/12/2021

क्रमांक :- 313/2021

विलिपि :-

1. तहसीलदार, विजौलियां को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री अर्चना पुत्री देवालाल जाति धाड़ नि. उमाजी का बैड़ा को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(बीमा तिवाड़ी)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, विजौलियां  
(विजौलियां)